

FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- दयाराम बनाम सिकन्दर सिंह आदि

धारा :- 188 आर.टी.ए. मुकदमा नं०:-४४... /2018

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
18	<p>अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.5.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। (aw)</p> <p><u>5.6.18</u></p> <p>वादी द्वारा जार्जिन - पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी के ली गई। वादी के जार्जिन - पत्र पेश किया कि प्रकार गरीबता है गलत है withdraw की अनुमति दी जाने वादी के (बैरिस्टर) जार्जिन - पत्र पेश करने पर वाद-पत्र withdraw की अनुमति के साथ वर्तमान स्टेट पर स्वारित किया जाता है पत्रावली (अलग) गुप्त है।</p> <p>(मादेश गुप्तता का)</p> <p>(aw)</p> <p>सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़</p>	<p>15/2/18</p> <p>J. Singh</p> <p>J. Singh</p> <p>वकीलवासी</p>